न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024
राजस्व वाद संख्या– 04 / 2019
निर्णय दिनांक – 28.09.2024
GCMS No.- 2019/00049 दायर दिनांक:21.01.2019

1. रामूराम पुत्र स्व॰ डूंगरराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
2. मांगीलाल उर्फ मांगुराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)

..........वादीगण

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी स्व॰ पूर्णाराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
2. मोहनी धर्मपत्नी स्व॰ पुसाराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
3. धनाराम पुत्र स्व॰ पुसाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व॰ पुसाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
5. खेताराम पुत्र रामुराम दत्तक स्व॰ लादुराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
6. शांति देवी पत्नी स्व॰ हरजीराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)
7. आसुराम पुत्र स्व॰ हरजीराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰)

28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

धनुड़ी पुत्री स्व. हरजीराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

9. लीला पुत्र स्व. हरजीराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

10. मोतु पुत्री स्व. हरजीराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

11. भंवरी पत्नी स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासीनी ग्रा लगातार........2 पर सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

12. कालुराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

13. शंकरराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

14. दानाराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

15. छोटु पुत्री स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

16. शारदा पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

17. सोना पुत्री स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासीनी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

18. जगुराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

19. परताराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति नायक निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

20. शाखा प्रबन्धक चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ़ (चूरू)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल विशु एडवोकेट, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दिनेश कुमा दाधीच एडवोकेट, अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

राजस्व वाद घोषणात्मक, राजस्व अभिलेख में संशोधन व चिर निषेधाज्ञा एवं विभाजन

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 19 का वंशवृक्ष दर्शाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 19 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त उपयोग–उपभोग का खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर वाके लगातार........3 पर ख.नं. 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर एवं ख.नं. 535 तादादी 0.5056 कानूता वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 6 ता 19 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग रोही कानूता एवं खेत ख.नं. 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख.नं. 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग वाके रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं व वादगत खेत ख.नं. 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख.नं. 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर वाके रोही कानूता एवं खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर वाके रोही कानूता

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

ी सं॰ 1 एवं प्रतिवादी सं॰ 1 ता 5 के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक पति के हैं। वादी सं॰ 1 का पिता डूंगरराम का स्वर्गवास हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम ु होने के बाद में हुवा था। डूंगरराम के स्वर्गवास के समय उसके जायज वारिसान में दी सं॰ 1 एवं प्रतिवादी सं॰ 2 ता 4 का पति, पिता पुसाराम एवं प्रतिवादी सं॰ 5 का त्तक पिता लादुराम एवं प्रतिवादीनी सं॰ 1 का पति पूर्णाराम मौजूद थे। जो सभी स्व॰ डूंगरराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान थे। पैत्रिक सम्पति में पुत्र, पौत्र–पौत्री के जन्म से ही कानूनन हिस्सा कायम हो जाता इसलिए डूंगरराम की मृत्यु के पश्चात वादगत खेत ख॰नं॰ 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर रोही कानूता की खातेदारी मे वादी सं॰ 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं॰ 2 ता 4 के पति, पिता पुसाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं॰ 5 के दत्तक पिता लादुराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीनी सं॰ 1 के पति पूर्णाराम का 1/4 हिस्सा एवं खेत ख॰नं॰ 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में वादी सं॰ 1 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पति, पिता पुसाराम का 1/16 (एक बट्टा सोलह) हिस्सा, प्रतिवादी सं॰ 5 के दत्तक पिता लादुराम का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादीनी सं॰ 1 के पति पूर्णाराम का 1/16 हिस्सा कानून कायम हो गया। वादगत खेतो का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी सं॰ 1 के मुकाबले गलत शुन्य निष्प्रभ हैं। वादगत खेत ख॰नं॰ 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर में वादी सं॰ 1 का 1/4 हिस्सा एवं खेत ख॰नं॰ 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, खेत ख॰नं॰ 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर एवं ख॰नं॰ 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर वाके रोही कानूता का वादी सं॰ 1 का 1/16 हिस्सा का खातेदार कृषक हैं व वादगत खेत ख॰नं॰ 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में वादी सं॰ 1 का 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं॰ 2 ता 4 की संयुक्त 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं॰ 5 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं॰ 1 का 1/16 हिस्सा एवं खेत ख॰नं॰ 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर में वादी सं॰ 1 की 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं॰ 2 ता 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं॰ 5 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीनी सं॰ 1 का

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

1/4 हिस्सा अंकित किया जावे खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 4 खेताराम पुत्र रामुराम गलत अंकित किया हैं, जबकि प्रतिवादी सं. 5 खेताराम पुत्र स्व. लादुराम का दत्तक पुत्र हैं, इसलिए वादगत खेतो की खातेदारी में प्रतिवादी सं. 5 खेताराम दत्तक पुत्र स्व. लादुराम अंकित किया जावे। वादगत खेत ख.नं. 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, ख.नं. 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर में शिकोरी पत्नी लादुराम का स्वर्गवास हो चुका हैं। शिवकोरी पत्नी लादुराम के स्थान पर खेताराम दत्तक पुत्र लादुराम अंकित किया जावे। इसी प्रकार वादगत खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, खेत ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, खेत ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में वादी सं. 2 का नाम मांगुराम पुत्र मंगलाराम का 1/21 हिस्सा एवं 1/12 हिस्सा एवं खेत ख.नं. 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर, ख.नं. 535 तादादी 0.5058 हैक्टेयर में वादी सं.. 2 का नाम मांगुराम पुत्र मंगलाराम का 1/6 हिस्सा खातेदारी अंकित हैं जो गलत हैं, इसलिए वादगत खेतो की खातेदारी में संशोधन कर वादी सं. 2 मांगीलाल पुत्र मंगलाराम अंकित किया जावे। वादगत खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में पुरखाराम पुत्र नानुराम के नाम 1/21 हिस्सा अंकित हैं जो गलत हैं। पुरखाराम नानुराम का पुत्र नहीं हैं बल्कि नानुराम का पौत्र हैं। पुरखाराम के पिता का नाम पनाराम है इसलिए वादगत खेतो की खातेदारी मे पुखाराम पुत्र नानुराम के स्थान पर पुरखाराम पुत्र पनाराम अंकित किया जावे। पुरखाराम का स्वर्गवास हो चुका हैं। पुरखाराम के जायज वारिसान पत्नी भंवरी देवी, पुत्र कालुराम, शंकरलाल, दानाराम है इसलिए वादगत खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर की खातेदारी में पुरखाराम के स्थान पर उसके वारिसान भंवरी पत्नी, कालुराम, शंकरलाल, दानाराम के नाम संयुक्त 1/21 हिस्सा की खातेदारी अंकित की जावे।

28/02/19

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 19 ने वादगत खेतो की संयुक्त खातेदारी भूमि
का मौखिक विभाजन किया। मौखिक विभाजन के मुताबिक खेत ख.नं. 254 तादादी 1.
3150 हैक्टेयर, ख.नं. 323 तादादी 3.5026 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खेत ख.नं. 326 तादादी
14.2256 हैक्टेयर में से पश्चिमी ओर की 1/4 हिस्सा भूमि वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं.
1 ता 5 के हिस्से पांति भाई बंटवारा में आयी। वादगत खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587
हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर,
प्रतिवादी सं. 6 एवं 8 ता 10 प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 7 का
1/12 हिस्सा एवं 1/21 हिस्सा एवं खेत ख.नं. 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर, ख.नं.
535 तादादी 0.5058 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 6 ता 10 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा

लगातार........5 पर

खेत ख.नं. 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर एवं ख.नं. 535 तादादी 0.
पूर्वी ओर एवं ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर में से पूर्वी ओर की हिस्से–पांति भाई
बंटवारा में आयी वादगत खेत ख.नं. 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख.नं. 294 तादादी
5.9684 हैक्टर, ख.नं. 326 तादादी 14.2256 हैक्टर में वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 18
ता 19 का 1/21–1/21 हिस्सा ख.नं. 480 एवं ख.नं. 535 में से पश्चिमी ओर की
1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 282 एवं ख.नं. 294 तादादी सम्पूर्ण वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं.
18 वा 19 के हिस्से–पांति भाई बंटवारा में आयी। वादगत भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि
है, जिससे वादीगण को वादाधार प्राप्त है। दावा रेकार्ड दुरूस्ती व घोषणा का है, इसलिए
80 सी0पी0सी0 की छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद का श्रवणाधिकार व
क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। अन्त में अनुतोष में वादीगण का दावा डिक्री किये
जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व 18 एवं 19 स्वयं उपस्थित जिन्होने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया व वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से पैरोकाराज उपस्थित।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant Adv.
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादीगण व प्रतिवादी सं॰ 1 ता 5 व 18 एवं 19 उपस्थित होकर दावे में इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा अन्य किसी प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उजर आदी नहीं आयी है। प्रतिवादी सं॰ 6 ता 17 पर विधिवत तामिल होने के उपरान्त इनकी तरफ से उपस्थिति नहीं आयी है इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पक्षकारान सुनी गई व मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रतिवादी सं॰ 1 ता 5 व 18 एवं 19 उपस्थित होकर दावे में इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र की मद सं॰ 1 में वंशवृक्ष में डूंगरराम के चार पुत्र फूसाराम, लादूराम, रामूराम, पूर्णाराम संतान होना अंकित है। वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत पुराना राजस्व रेकार्ड में वादगत भूमि स्व॰ डूंगरराम से प्राप्त पुश्तैनी भूमि होना राजस्व रेकार्ड से प्रतित है। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो से वादी सं॰ 2 मांगूराम पुत्र मंगलाराम का सही नाम मांगीलाल पुत्र मंगलाराम प्रतित होता है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का किसी भी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है, इसलिए उक्त वाद को डिक्री न किये जाने का कोई कारण मौजूद नहीं है, इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :—

लगातार........6 पर

→ वादगत खेत ख॰नं॰ 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 2 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर वाके रोही कानूता का 1/16 हिस्से की खातेदारी वादी सं॰ 1 रामूराम पुत्र डूंगरराम के नाम दर्ज की जावे व शेष भूमि राजस्व रेकार्ड में वादपत्र की मद सं॰ 1 में वर्णित वंशवृक्ष में बिड़दाराम के वारिसानो के विरासतन हिस्से के अनुसार दर्ज करें।

→ वादगत खेत ख॰नं॰ 1311/323 तादादी 2.000 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 1312/323 तादादी 1.3635 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 1313/323 तादादी 0.1391 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर वाके रोही कानूता वादी सं॰ 1 रामूराम पुत्र डूंगरराम के

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

नाम 1/4 हिस्सा दर्ज की जावे व शेष भूमि डूंगरराम के शेष वारिसानों के विरासतन हिस्से के अनुसार दर्ज करें।

वादगत खेत ख॰नं॰ 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर एवं ख॰नं॰ 535 तादादी 0.5058 हैक्टेयर वाके रोही कानूता में खातेदारी में मांगूराम पुत्र मंगलाराम की जगह वादी सं॰ 2 मांगीलाल पुत्र मंगलाराम अंकित किया जावे व रहन हिस्सा खातेदारों के हिस्से तक अंकित करें।

तहसीलदार सुजानगढ़ वादगत खेतों का खातेदार के हिस्से व मौके अनुसार रास्तो दर्शाते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

28/09/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant

रेवेन्यू अधिकारी(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़

रामूराम बनाम मोहनी आदि

दावा घोषणात्मक एवं कृषि भूमि विभाजन हेतु

मुकदमा न0 04 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में घोषित किया जाता है कि वादगत खेत ख॰नं॰ 282 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 294 तादादी 5.9684 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 326 तादादी 14.2256 हैक्टेयर वाके रोही कानूता का 1/16 हिस्से की खातेदारी वादी सं॰ 1 रामूराम पुत्र डूंगरराम के नाम दर्ज की जावे व शेष भूमि राजस्व रेकार्ड में वादपत्र की मद सं॰ 1 में वर्णित वंशवृक्ष में बिड़दाराम के वारिसानो के विरासतन हिस्से के अनुसार दर्ज करें। वादगत खेत ख॰नं॰ 1311/323 तादादी 2.000 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 1312/323 तादादी 1.3635 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 1313/323 तादादी 0.1391 हैक्टेयर, ख॰नं॰ 254 तादादी 1.3150 हैक्टेयर वाके रोही कानूता वादी सं॰ 1 रामूराम पुत्र डूंगरराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज की जावे व शेष भूमि डूंगरराम के शेष वारिसानों के विरासतन हिस्से के अनुसार दर्ज करें। वादगत खेत ख॰नं॰ 480 तादादी 9.7240 हैक्टेयर एवं ख॰नं॰ 535 तादादी 0.5058 हैक्टेयर वाके रोही कानूता में खातेदारी में मांगूराम पुत्र मंगलाराम की जगह वादी सं॰ 2 मांगीलाल पुत्र मंगलाराम अंकित किया जावे व रहन हिस्सा खातेदारों के हिस्से तक अंकित करें।तहसीलदार सुजानगढ़ वादगत खेतों का खातेदार के हिस्से व मौके अनुसार रास्तो दर्शाते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

चीज..मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख28माह 09. 2024

28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़
न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत
सुजानगढ़
सुजानगढ़

Basant
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत
सुजानगढ़
सुजानगढ़